भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **25**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024/13 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक राजसहायता का वितरण

25. श्री के.षणमुग सुंदरम:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से अब तक देश भर में राज्य-वार और वर्ष-वार उर्वरक/उर्वरक राजसहायता का कितनी-कितनी मात्रा में वितरण किया गया है;
(ख) क्या सरकार ने उर्वरकों के आयात पर कोई प्रतिबंध लगाया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क): सरकार किसानों को वहनीय कीमतों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करती है। 'उर्वरकों में डीबीटी प्रणाली' के अंतर्गत प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है। उर्वरकों पर वितरित सब्सिडी राज्य-वार मात्रा अनुलग्नक-I पर दी गई है तथा विगत 5 वर्षों 2019-20 से 2023-24 तक (31.01.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान उर्वरकों पर प्रदत्त सब्सिडी इस प्रकार है:-

वर्ष	**राशि (करोड़ में)**
2019-20	**83,468**
2020-21	**131,229**
2021-22	**157,640**
2022-23	**254,798**
2023-24 (31.01.24 की स्थिति के अनुसार)	**170,923**

(ख) और (ग): देश में उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य सरकारों के साथ समन्वय से किया जाता है। तथापि, उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन आकलित आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। इसलिए, इस आवश्यकता और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अंतर को पाटने के लिए समय पर आयात किया जाता है। यूरिया के मामले में, आयात सरकारी खाते पर 3 नामित एसटीई नामत: इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल), राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) और ओक्यू ट्रेडिंग (ओमान) से यूरिया आयात के लिए दीर्घकालिक अनुबंध के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, पीएण्डके उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस के तहत आते हैं और कंपनियां मांग को पूरा करने के लिए अपने वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर इन उर्वरकों का आयात कर रही हैं।

अनुलग्नक-I

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 31.1.24 की स्थिति के अनुसार
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.000	0.003	0.012	0.007	0.002
2	आंध्र प्रदेश	35.384	42.273	36.357	37.187	29.801
3	अरुणाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.009	0.007
4	असम	6.232	6.150	6.044	5.815	4.707
5	बिहार	36.685	38.546	33.671	34.358	31.743
6	छत्तीसगढ़	15.698	18.218	16.317	15.921	15.495
7	दादरा और नगर हवेली	0.010	0.016	0.008	0.010	0.006
8	दिल्ली	0.301	0.261	0.305	0.331	0.320
9	गोवा	0.059	0.069	0.059	0.052	0.047
10	गुजरात	38.395	41.460	36.771	38.593	35.678
11	हरियाणा	29.244	30.082	29.053	28.133	28.414
12	हिमाचल प्रदेश	1.189	1.201	1.156	1.185	0.861
13	जम्मू और कश्मीर	1.515	3.459	2.361	2.251	1.440
14	झारखंड	3.711	4.229	4.168	3.877	3.967
15	कर्नाटक	38.244	45.644	45.908	43.310	36.886
16	केरल	3.601	4.069	3.451	3.166	2.797
17	मध्य प्रदेश	58.859	62.265	59.798	61.784	64.203
18	महाराष्ट्र	64.639	74.049	70.675	64.555	58.421
19	मणिपुर	0.392	0.329	0.303	0.503	0.261
20	मेघालय	0.000	0.000	0.000	0.000	0.057
21	मिजोरम	0.088	0.025	0.027	0.115	0.119
22	नागालैंड	0.012	0.007	0.005	0.005	0.007
23	ओडिशा	11.444	11.980	11.755	11.005	10.371
24	पुदुचेरी	0.218	0.275	0.259	0.264	0.173
25	पंजाब	39.140	39.515	41.875	39.106	38.051
26	राजस्थान	37.278	37.997	36.801	39.942	39.407
27	तमिलनाडु	20.948	23.873	24.445	22.585	19.310
28	तेलंगाना	31.958	38.953	35.494	36.798	32.458
29	त्रिपुरा	0.549	0.474	0.566	0.456	0.260
30	उत्तर प्रदेश	105.429	113.760	106.614	107.795	98.642
31	उत्तराखंड	3.346	3.259	2.843	2.834	2.684
32	पश्चिम बंगाल	32.631	34.808	32.959	34.478	23.966